न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

न. 2/06/2021

तारीख रजू..........................

रामस्वरूप **बनाम** संगीता वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.07.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतःअप्रार्थीगण जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्बर 2168, वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के सायल के हिस्से के सयुक्त कब्जे काश्त मे किसी तरह की रूकावट न ड़ाले इसमे कोई कच्चा पक्का निर्माण न करें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 09.09.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 09.09.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
9/9/21	वकील प्रा० उप०। अप्रार्थी संख्या 1, व 2 की ओर से श्री सतीश चन्द शर्मा एड० ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया। जवाब शा० मि० किया गया। शेष तलबी नं० 3 जारी हो कर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11/10/21 को पेश हो SDM	
11/10/21	वजह [illegible] P.O [illegible] पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/10/22	वकीलान .... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 17.10.22 की पालना में पक्ष की तरफ से .... बहस T.I दिनांक 28/10/22 .... को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
28.10.22	वकीलान उपस्थित। प्रार्थना पत्र [illegible] पर बहस वकीलान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 8/11/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०
9/11/22	पत्रावली 8/11/22 का राजकीय अवकाश होने के कारण आज पेश हुई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/106/2021

वउनवान

1. रामस्वरूप पुत्र खूवी जाति माली निवासी गारू तहसील कठूमर जिला अलवर।

------ सायल

बनाम

1. संगीता पत्नी कैलाशचन्द जाति माली निवासी गारू तहसील कठूमर
2. सावित्री पत्नी भूरसिंह जाति माली निवासी गारू तहसील कठूमर
3. उप पंजीयक खेरलीगंज तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री राधाबल्लभ शर्मा– अधिवक्ता सायल की ओर से

श्री सतीशचन्द शर्मा – अधिवक्ता गैरसायल सं0 1–2 की ओर से

आदेश

दिनांक 09.11.2022

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 2168 रकवा 0.30 हे. ग्राम गारू तहसील कठूमर में स्थित हैउपरोक्त विवादित आराजी सायलगैरसायलान एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है जिनके मुताविक हिस्सा जमाबन्दी पैरा सं0 3 में सायल ने अंकित किये है। विवादित आराजी में सायल का 3/128 हिस्सा है शेष हिस्सा गैरसायल सं0 1–2 व प्रतिवादीगण का है। उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

है। सायल एंव गैरसायलान के मध्य आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायल एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पर शेामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायल ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायलान ने सायल को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी काकानूनी तकासमा नहीं करायेगें और तुझे विवादित आराजी पर तेरे हिस्से पर शामलात में काश्त नही करने देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही मनचाहे स्थान पर कच्चा पक्का निर्माण करेगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलन अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1–2ने हाजिर अदालत होकर अपनाजवाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि सायल का खसरा नम्बर 2168 विवदित नहीं है। खसरा नम्बर 2179, 2183, 2168, 2169 आज से करीब 50 साल पहले का वंटा हुआ था। खसरा नम्बर 2168 में 1/2 हिस्सा विशम्बर पण्डित का व 1/2 हिस्सा बृजलाल ब्राहमण का था जिस विशम्बर से उसका हिस्सा गैरसायल सं0 1–2 ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद कर कबजा प्राप्त कर लिया। खरीद के वाद गेरसायल सं0 1–2 ने अपने हिस्से की आराजी पर दीवार निर्माण कर ली। इसमें गैरसायलान पशुधन बांधती है कृषि उपकरण रखती है व कृशि कार्य के उपयोग एंव उपभोग में ले रही है उक्त आराजी अवट ना होकर 50 साल पहले की वंटी हुई है। राजस्व रेकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (अलवर) राज०

विवदित आराजी शामलात खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। विवादित आराजी में सायल का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। सायल का विवादित आराजी में हिस्सा ना होकर खसरा नम्बर 2179, 2167, 2183 में है। मौके पर कोई विवाद पक्षकारान के मध्य नहीं है। सायल का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। सायल 50 साल पहले हुये घरू वंटवारा को नहीं मान रहा है। गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जव सायल का विवादित आराजी पर कब्जा ही नहीं है तो गैरसायलान द्वारा उसके कब्जे काश्त में बाधा डालने की बात स्वतः गलत सावित हो जाती है। सायल नाक़ाविज है। नाकाविज सायल का प्रार्थना पत्र मेण्टनेविल नहीं है। सायल का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी की आराजी को रहन वय करने व निर्माण करने का पूरा पूरा हक व अधिकार होता है। सायल को किसी तरह की क्षति व नुकशान नहीं होता है इस वजह से सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायलने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम गारूकी सत्यप्रतिलिपी पेश की हैं जो शामिल पत्रावली है।

सायल को अपने प्रार्थना पत्र में सफ़लता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है –

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

वहस सुनी गयी। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान व अन्य साझीदारान की शामलात खातेदारी की आराजी है। गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। गैरसायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये रहन वय करना चाहते है पुख्ता निर्माण करना चाहते है। गैरसायलान ने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने से मना कर दिया है। अतः गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द किया जावे। अधिवक्ता सायल ने अपने कथनों की पुष्टि में नकल पर्चा दिनांक 02.07.202 प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2021 व विशम्बर दयाल का शपथ पत्र पेश किया है व कानूनी नजीर आर आर डी 1987 पेज 330 से 334 की छाया प्रति पेश की है। विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस में कथन किया कि विवादित आराजी से सायल का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजी 50 साल पहले स वंटी हुई है। सायल का हिस्सा विवादित आराजी में ना होकर खसरा नम्बर 2179, 2183, 2169 में है। खसरा नम्बर 2168 का 1/2 हिस्सा वि म्बर पण्डित को व 1/2 हिस्सा बृजलाल ब्राहमण को मिला है। विश्म्बर से उसका हिस्सा गैरसायल सं0 1–2 ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है जिसका वो उपयोग एंव उपभोग कर रही है। सायल ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया है जो खारिज किया जावे। अधिवक्ता गेरसायलान ने अपने कथनों की पुश्टि में कानूनी नजीर आर आर टी 2019(1) 172 से 174 की छाया प्रति पेश की है।

हमने पत्रावली के तथ्यों व पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड व कानूनी नजीरों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी हाल के अवलोकन से विवादित आराजी सायल, गैरसायलान एंव अन्य साझीदारान की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है।अधिवक्ता सायल ने विवादित आराजी को अवट व शामलात खातेदारी की होना व अधिवक्ता गैरसायलान ने विवादित आराजी को 50 साल पूर्व की वंटी होना कथन किया है। राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी मौके पर वंटी है या अवट ये तथ्य तो मूल वाद में मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य आने पर तय किये जावेगे। गैरसायलान विवादित आराजी की खातेदार का तकार है। यदि गैरसायलान को पाबन्द कर दिया तो उन्हें नुकशान व हानि होना संभव है। सायल को किस तरह का नुकशान व क्षति हो रही है इसे सायल सावित में असफल रहा है। सायल का किसी तरह का नुकशान असुविधा व क्षति होती है इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः प्रथम दृश्टा केस, सुविधा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु गैरसायलान के पक्ष में सावित है।

सायल अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहा है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 07.07.2021 वैकेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 09.11.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)